सत्यमेव जयते

# न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

## COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

**विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities**
**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment**
**भारत सरकार / Government of India**

केस संख्या 4988 / 1040 / 2015 दिनांकः– 09.11.2016

के मामले में:–

श्री संदीप कुमार सोनी, D487
पीआरटी, केन्द्रीय विद्यालय, अम्बिकापुर,
नेशनल हाईवे 78, भगवानपुर खुर्द,
छत्तीसगढ़ – 407001 ... शिकायतकर्ता

बनाम

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, D488
द्वारा – रजिस्ट्रार,
मैदानगढ़ी, ग्राम – छत्तरपुर,
नई दिल्ली–110062 ... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीख – 16.09.2016, 25.10.2016

उपस्थितः
16.09.2016

1. श्री संदीप कुमार सोनी, शिकायतकर्ता ।
2. श्री नीरज शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी की ओर से ।

25.10.2016

1. श्री शंकर कुमार सेन, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता की ओर से ।
2. श्री नीरज शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी की ओर से ।

### आदेश

उपरोक्त शिकायतकार्त, जो 55 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत पदोन्नति से संबंधित शिकायत दिनांक 29.06.2015 इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि सीपीपीडीपीटी की परीक्षा देने हेतु दिनांक 22.06.2015 को राजकीय ईआरआर कॉलेज, बिलासपुर गया था । पहले दो परीक्षओं में इग्नू टीईई इन्टीमेशन स्लिप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और विद्यालय द्वारा प्रदत्त कार्यमुक्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर सम्मिलित होने दिया गया । दिनांक 24.06.2015 को तीसरे प्रश्न पत्र हल करने के दौरान इग्नू का आईडी कार्ड न होने के कारण उन्हें अपमानित किया गया, उत्तर पुस्तिका छीन ली गई और परीक्षा से बाहर कर दिया गया । परीक्षा कक्ष में कुछ अन्य शिक्षकों के पास में भी इग्नू का आईडी कार्ड नहीं था तो भी

....2 / --

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने दिया गया । इग्नू द्वारा केन्द्रीय विद्यालय, अम्बिकापुर के किसी भी प्राथमिक शिक्षक को इग्नू आईडी कार्ड नही भेजां गया थां ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 22.09.2015 के द्वारा उठाया गया ।

4. क्षेत्रीय निदेशिका, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, इग्नू ने पत्र दिनांक 24.11.2015 के द्वारा अन्य के साथ यह सूचित किया है कि श्री संदीप कुमार सोनी, इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र कोरापुट (ओडिशा) में नामांकित हैं और इग्नू का प्रवेश पत्र/आईकार्ड उन्हें परीक्षा से पूर्व कोरापुट से ही प्राप्त कर लेना था जो उन्होंने नहीं किया । यह भी सूचित किया गया है कि इग्नू के किसी भी क्षेत्रीय केन्द्र से नामांकित शिक्षार्थी वहीं से प्राप्त आईकार्ड/परीक्षा प्रवेश पत्र के साथ पूरे भारत में किसी भी इग्नू के परीक्षा केन्द्र में पूर्व निर्धारित शर्तों के पालन करते हुए परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं । इग्नू का हॉल टिकट अमुक विषय की परीक्षा की सूचना के लिए है जिस पर यह स्पष्ट रूप से अंकित होता है कि परीक्षार्थी इग्नू के आईकार्ड/परीक्षा प्रवेश पत्र को लेकर ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं । उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद श्री संदीप कुमार की विकलांगता के झूठे आश्वासनों के बाद भी दो विषयों की परीक्षा में तदर्थ रूप से सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी । तीसरे दिन परीक्षा में इसलिए सम्मिलित नहीं किया गया कि उन्होंने झूठे आश्वासनों के आधार पर परीक्षा दी और बगैर आईकार्ड/परीक्षा प्रवेश पत्र के इग्नू के परीक्षा प्रावधानों का पालन नहीं किया ।

5. शिकायतकर्ता का प्रतिवादी के उत्तर दिनांक 24.11.2015 पर अपने प्रत्युत्तर दिनांक 03.02.2015 में कहना है कि शिकायतकर्ता प्रतिवादी के इस आरोप से आहत है कि वे झूठ बोलकर परीक्षा में सम्मिलित हुए । केन्द्रीय विद्यालय, अम्बिकापुर के किसी अध्यापक को इग्नु द्वारा आई.डी. कार्ड नहीं भेजा गया था । परीक्षा कक्ष में अन्य शिक्षकों के पास भी आई.डी. कार्ड नहीं था जिन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया गया । ऐसी स्थिति में प्रार्थी को भी सम्मानपूर्वक परीक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए था । सक्षम अधिकारी को यह ज्ञात होने पर भी कि प्रार्थी इग्नु में नामांकित है और पर्याप्त दस्तावेज उसके पास हैं, प्रार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने देना चाहिए था । सक्षम अधिकारी का विकलांग व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का असामान्य व्यवहार समाज को विभाजित करने का काम करेगा ।

6. प्रतिवादी से प्राप्त उत्तर दिनांक 24.11.2015 और शिकायतकर्ता से प्राप्त प्रत्युत्तर दिनांक 03.02.2016 को ध्यान में रखते हुए मामले की सुनवाई दिनांक 16.09.2016 को निर्धारित की गई ।

....3/–

7. दिनांक 16.09.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वह सीपीपीडीपीटी की परीक्षा देने हेतु दिनांक 22.06.2015 को राजकीय ईआरआर कॉलेज, बिलासपुर गया था । पहले दो पेपरों में इग्नू टीईई इन्टीमेशन स्लिप और विद्यालय द्वारा प्रदत्त कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र के आधार पर सम्मिलित होने दिया गया था । दिनांक 24.06.2015 को तीसरे प्रश्नपत्र हल करने के दौरान इग्नू का आईडी कार्ड न होने के कारण उन्हें परीक्षा से बाहर कर दिया गया । परीक्षा कक्ष में कुछ अन्य शिक्षकों के पास भी इग्नू का आईडी कार्ड नहीं था लेकिन उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने दिया गया । इग्नू द्वारा केन्द्रीय विद्यालय, अम्बिकापुर के किसी भी प्राथमिक शिक्षक को इग्नू आईडी कार्ड नहीं भेजा गया था । इग्नू द्वारा परीक्षा सूचना स्लिप के नोट में अपना आडैन्टिटी कार्ड दिखाने के लिए लिखा है । इस संबंध में मैंने विद्यालय के प्राचार्य को फोन पर सूचना दी और विद्यालय जा कर कार्यभार ग्रहण कर लिया । तत्पश्चात् मैंने इस न्यायालय में शिकायत फाइल की । कृपया मुझे न्याय दिलाया जाए ।

8. प्रतिवादी के काउन्सेल ने निवेदन किया कि उन्हें कल शाम को ही प्रतिवादी के सहायक रजिस्ट्रार द्वारा इस मामले की सुनवाई हेतु इस न्यायालय में आज उपस्थित होने की सूचना दी गई है । इस मामले के पूरे तथ्यों की जानकारी उन्हें नहीं है और उन्होंने प्रतिवादी की ओर से उत्तर फाइल करने के लिए 15 दिन के समय की मांग की जोकि न्यायालय द्वारा प्रदान की गई ।

9. मामले की सुनवाई के पश्चात् न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे इस कार्यवाहियों के अभिलेख की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपना उत्तर इस न्यायालय में फाइल करें और अपने उत्तर की एक प्रति शिकायतकर्ता को भी भेजें जोकि अगले 15 दिनों के अन्दर अपने टिप्पण/रिज्वाइडर इस न्यायालय में भेजेंगे । मामले की अगली सुनवाई दिनांक 25.10.2016 को निर्धारित की गई ।

10. दिनांक 25.10.2016 को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि इस न्यायालय के निर्देशानुसार लिखित उत्तर तैयार कर लिया गया था परन्तु रजिस्ट्रार, इग्नू द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होने के कारण उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका । विद्वान अधिवक्ता ने लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय देने का निवेदन किया ।

....4/–

11. शिकायतकर्ता पक्ष से उपस्थित अधिवक्ता ने भी कहा कि उन्हेंस मामले का संपूर्ण तथ्य ज्ञात नहीं है और निपवेदन किया कि सुनवाई एक सप्ताह के बाद की तिथि पर रखी जाए । दोनों पक्षों के निवेदन को ध्यान में रखते हुए मामले में अगली सुनवाई दिनांक 07.11.2016 को निर्धारित की गई । दोनों पक्षों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपना लिखित उत्तर/प्रत्युत्तर सुनवाई की तिथि के भीतर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें अन्यथा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामले का निपटारा किया जाएगा ।

12. दिनांक 07.11.2016 को सुनवाई में भाग लेने के लिए शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उन्होंने सुनवाई में भाग लेने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया जबकि सुनवाई के लिए सूचना इस न्यायालय के कार्यवाहियों के अभिलेख. दिनांक 04.11.2016 द्वारा तीव्र डाक से भेजी गई थी ।

13. प्रतिवादी की ओर से मामले में अपने पक्षकथन के समर्थन में न तो उपस्थित होने और न ही सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे सूचित करने में दर्शित पूर्ण उपेक्षा को इस न्यायालय ने गंभीरता से लिया है ।

14. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर अपना उत्तर फाइल किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया । उन्होंने आगे निवेदन किया कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के पास इग्नू द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा अन्य पहचान प्रमाण होना चाहिए, जोकि शिकायतकर्ता द्वारा परीक्षा के तीसरे दिन भी नहीं दिखाया गया । अतः उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया गया ।

15. प्रतिवादी को सुनने और मामले का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय का यह संप्रेक्षण है कि इस मामले में प्रतिवादी द्वारा विकलांगजन अधिनियम, 1995 की किसी धारा अथवा सरकारी निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है । अतः यह न्यायालय प्रतिवादी को कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं समझता है ।

16. मामले का तद्नुसार निपटारा किया जाता है ।

(डा.कमलेश कुमार पाण्डे)
मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन